कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह
रंगबाडी रोड, कोटा 324005

आज़ादी का अमृत महोत्

क्रमांक : प.1( )/पीए(एच)/विविध/2021/745

दिनांक : 20 नवम्बर, 2021

—:: परिपत्र ::—

प्रायः यह देखने में आया है कि इमरजेन्सीं समय में इमरजेन्सी ओपीडी में दिखाने आने वाले ऐसे रोगियों को जो भर्ती होने लाइक है उन्हें ड्यूटी पर उपलब्ध रेजिडेन्ट चिकित्सक/सी.एम.ओ. द्वारा भर्ती नहीं किया जाता है तथा कुछ भी मिथ्या कारण बताकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। ऐसे कई रोगियों की शिकायत अद्योहस्ताक्षरकर्ता एवं उच्चाधिकारियों को भी की गई है। यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है और राज्य सरकार की नीति एवं नागरिकों की चिकित्सा प्राप्त करने के मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः सभी संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे सभी ओपीडी में आने वाले मरीज जो भर्ती होने लाइक है उन्हें भर्ती होने के लिये मना नहीं किया जायें और यदि रोगी को किसी विशेष अन्य विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता है तो ऐसे चिकित्सक को कॉल भेजकर/दूरभाष पर परामर्श प्राप्त कर रोगी का उपचार सुनिश्चित किया जायें।

यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही/अनुशासनहीनता पाई जाती है तो संबंधित रेजिडेन्ट चिकित्सक के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी तथा संबंधित सीएमओ के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के अर्न्तगत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंषा की जावेंगी।

(डॉ0 विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जनता कॉलोनी, जयपुर
5. संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा।
6. जिला कलक्टर, कोटा।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, कोटा।
8. अधीक्षक, एमबीएसएच/नवीन चिकि./जेकेलोन चिकि./एसएसएच/रामपुरा चिकि. कोटा।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/इकाई प्रमुख/रेजिडेन्ट चिकित्सक द्वारा विभागाध्यक्ष........................को पालनार्थ।
10. नर्सिंग अधीक्षक/संबंधित डे—नाइट सुपरवाईजर द्वारा नर्सिंग अधीक्षक एमबीएसएच/नवीन चिकि./जेकेलोन चिकि./एसएसएच/रामपुरा चिकि कोटा को प्रेषित कर लेख है कि यह सुनिश्चित करावें कि किसी भी नर्सिंग स्टॉफ द्वारा यदि किसी रोगी को भ्रमित किया जाता है तो इसकी सूचना तुरन्त उच्चाधिकारियों को दे
11. अति0 निजी सचिव, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
12. प्रभारी अधिकारी आई.टी. सेल को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करें एवं संबंधित को ईमेल द्वारा सूचित करें।
13. सामान्य शाखा/स्थापना (राज0/अराज0.)/एकेडमिक शाखा, मेडिकल कॉलेज, कोटा।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

दूरभाष न0 0744-2470674 || 0744-2323578 ईमेल : principal.mc.kota@rajasthan.gov.in||
वेबसाइhttp://www.education.rajasthan.gov.in/gmckota